झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–21 वर्ष 2021

सहदेव महतो, उम्र लगभग 48 वर्ष, पुत्र–स्वर्गीय बिरेन्द्र नाथ महतो, निवासी ग्राम–सुक्ला, डाकघर–रसिक नगर, थाना–बोरम, जिला–पूर्वी सिंहभूम .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।

2. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, डाकघर एवं थाना–साकची, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

3. उप विकास आयुक्त–सह–अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, डाकघर एवं थाना–साकची, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बोरम, डाकघर एवं थाना–बोरम, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

5. राकेश कुमार गोप, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बोरम, डाकघर एवं थाना–बोरम, जिला–पूर्वी सिंहभूम। ....

उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री ए0 के0 सहानी, अधिवक्ता।

उत्तरदाता–राज्य के लिए :– श्री मनोज कुमार नं0 3, जी0पी0–II

03/04.02.2021 याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए0के0 सहानी और प्रतिवादी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार नं0 3 को सुना।

2. कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रिट याचिका पर सुनवाई की गई है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो के किसी भी तकनीकी खराबी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को योग्यता के आधार पर सुना गया है।

3. याचिकाकर्त्ता ने रिट याचिका के अनुबंध–3 में निहित दिनांक 01.01.2021 के आदेश को रद्द करने के लिए इस रिट याचिका को प्राथमिकता दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्त्ता को गौडीह पंचायत से बेलडीह पंचायत में स्थानांतरित कर दिया गया है।

4. श्री ए0के0 सहानी, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता पहले ही 29.01.2021 को स्थानांतरण आदेश के अनुसार सेवा में योगदान दे दिए हैं। वह आगे कहते हैं कि याचिकाकर्त्ता के साथ ऐसे स्थानांतरण आदेश के माध्यम से भेदभाव किया गया है। वह यह भी निवेदन किए हैं कि जिन व्यक्तियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है, उन्हें उसी स्थान पर पदस्थापित किया गया है जिसके लिए नियुक्ति की गई थी, जबकि, याचिकाकर्त्ता को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है, वह भी मानदेय की मामूली राशि पर, याचिकाकर्त्ता सेवा में योगदान कर लिए हैं।

5. उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर और इस मामले के इस पहलू पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्त्ता पहले ही स्थानांतरित स्थान पर सेवा में योगदान दे चुका है,

इस रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्त्ता को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि वह आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर करे। यदि याचिकाकर्त्ता द्वारा ऐसा अभ्यावेदन दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 याचिकाकर्त्ता के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और उसके बाद छह सप्ताह की अवधि के भीतर उचित युक्तियुक्त आदेश पारित करेगा।

6. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, जे0)